# न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक
(डॉ. सूरज सिंह नेगी,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 13 / 2023
प्रविष्टि दिनांक 23.06.2023
निर्णय दिनांक 04.09.2023

सरकार जरिए पुलिस अधीक्षक जिला टोंक

..... सायल

बनाम

मदन पुत्र रामप्रताप जाति मीणा निवासी बाढदामोदरपुरा पुलिस थाना निवाई सदर जिला टोंक

..... गैर सायल

**इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975**

उपस्थिति :-1-अभियोजन अधिकारी, राजकीय पेरोकार
2-गैर सायल स्वयं उप.।

**निर्णय** दिनांक 04.09.2023

पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा गैर सायल मदन पुत्र रामप्रताप जाति मीणा निवासी बाढदामोदरपुरा पुलिस थाना निवाई सदर जिला टोंक के विरूद्ध यह इस्तगासा प्रस्तुत कर बताया कि गैर सायल अपराधिक प्रवृति में लीन है, अतः गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही की जावे ताकि इलाके में शान्ति बनी रहे।

इस्तगासा प्रस्तुत होने पर गैर सायल की तलबी जरिये सम्मन की गई। परन्तु गैर सायल स्वयं उपस्थित हुआ। गैर सायल को आरोप इस्तगासा पढकर सुनाया गया। गैर सायल द्वारा आरोपों को स्वीकार किया गया तथा लिखित में जवाब पेश करने से इन्कार किया गया। बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि गैर सायल के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत हुए है। गवाहान जो प्रेशिक्यूशन ने प्रस्तुत किये है उनकी विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता। गैर सायल के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट व चार्जशीट पेश की और वह मुकदमों में गुण्डा साबित होता है। गैर सायल के विरूद्ध अभियोग कमशः 126 / 08 दिनांक 29.03.2008 थाना निवाई, 183 / 15 दिनांक 20.04.2015 थाना निवाई, 171 / 16 दिनांक 27.04.2016 तथा 139 / 17 दिनांक 16.04.2017 धारा 16 / 54 आबकारी अधिनियम में दर्ज होकर चारों प्रकरणों में गैर सायल को सजा सुनाई गई जिनसे संबंधित

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि गैर सायल बचपन से ही गलत संगत में पड़कर शराब पीने लग गया और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अवैध शराब रखने व बेचने लग गया जिसकी वजह से समाज के लोगों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अतः गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत जिले से अन्य जिले में निष्कासित किया जावें।

गैर सायल ने कथन किया कि पूर्व में जिन प्रकरणो में आरोप लगाये गये है वह केवल धारा 16/54 आबकारी अधिनियम के है न कि किसी बडे अपराध अपहरण, हत्या, बलात्कार, चोरी इत्यादि के है तथा गुण्डा एक्ट के तहत किसी भी अपराधी का आदतन अपराधी होना आवश्यक है किन्तु इस संबंध में मुल्जिम का कोई रिकार्ड नहीं है। प्रकरणो का पूर्व में निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। इस संबंध में गैर सायल द्वारा शपथ पत्र भी पेश कर दिया गया है। लिहाजा इस्तगासा खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त परिशीलन किया तथा अभियोजन अधिकारी एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा गुण्डा एक्ट की धारा 3(3) में प्रस्तुत किया है तथा गैर सायल के विरूद्व उक्त प्रकरण शराब रखने व बेचने से संबंधित है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि गैर सायल शराब रखने व बचने का आदी है। इस कारण समाज के लोगो पर निश्चित रूप से बुरा असर पड रहा है तथा भविष्य में भी गैर सायल अपराधिक कार्य को अंजाम दे सकता है। इसलिए इस अपराधिक प्रवृति को रोकने के लिए समाज हित में शांति व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है।

अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चार्जशीट तथा दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार कर गैर सायल मदन पुत्र रामप्रताप जाति मीणा निवासी बाढदामोदरपुरा पुलिस थाना निवाई सदर जिला टोंक को दिनांक 04.09.2023 से 14.09.2023 तक की अवधि के लिए शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस थाना निवाई सदर जिला टोंक से पुलिस थाना निवाई जिला टोंक के लिए निष्कासित किया जाता है तथा उसे पाबन्द किया जाता है कि वह प्रकरण में अंकित अपराधो की पुनरावृति नहीं करेगा एवं थानाधिकारी पुलिस थाना निवाई जिला टोंक के यहां प्रतिदिन हाजरी दर्ज करावेगा। इस संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना निवाई जिला टोंक आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावे। फैसले की प्रति संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित थानाधिकारी को प्रेषित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद जाप्ता दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक